निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 125/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी बैंक लि॰ एच डी एफ सी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोवर पारेल, वेस्ट मुम्बई, एवं द्वितीय पता–द्वितीय फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, आई टी ओ, न्यू देहली ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स कौशल इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री सुनील शर्मा
   260 कौशाल दीप पावर हाउस के पास ब्राह्मपुरी जयपुर
   ग्राम राजपुर पोस्ट धोला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
2. सुनील शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा निवासी 260 कौशल दीप, पावर हाउस के पास, ब्राह्मपुरी जयपुर
3. श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा
   एफ–52 बी, गुरू नानग मार्ग बनीपांर्क जयपुर ।
   प्लाट नम्बर 118 व 118 ए, बेनाड रोड, निर्मल विहार, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री जी॰ सी गर्ग एवं आलोक गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 3-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं. 118 व 118 ए, बेनाड रोड, निर्मल विहार, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल कमशः 200 वर्गगज एवं 200 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 60,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड स्टॉक का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

मजिस्ट्रेट
र) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री संदीप शर्मा उपस्थित है।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.01.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी ऋणी द्वारा धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्त होने पर आपत्ति पेश की गई है, जिससे धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नं. 118 व 118 ए, बेनाड रोड, निर्मल विहार, झोटवाडा, जयपुर क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्गगज एवं 200 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जमरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)